शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में विज्ञापन प्रारूप

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार कक्षा एक से आठ में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद व्दारा न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं। इन न्यूनतम योग्यताओं में अकादमिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ-साथ प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया है। इसी आधार पर राज्य में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTET-2011 का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल व्दारा **दिनाँक 24/11/2011** को किया जाएगा।

परीक्षा कार्यक्रम

1. **आवेदन पत्रों का विक्रय-** व्यापम व्दारा निर्धारित ओ.एम.आर. आवेदन पत्र तथा परीक्षा निर्देशिका का विक्रय प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के प्रधान/ मुख्य डाकघरों से **17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2011** तक किया जाएगा। डाकघर में निर्धारित परीक्षा शुल्क नगद जमा करने पर अभ्यर्थी को निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी –

   अ. शिक्षक पात्रता परीक्षा निर्देशिका-2011
   ब. ओ.एम.आर. आवेदन पत्र
   स. भरा हुआ ओ.एम.आर. आवेदन पत्र नमूनार्थ
   द. ओ.एम.आर. आवेदन पत्र रखने का लिफाफा।

2. **परीक्षा शुल्क** – परीक्षा हेतु शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है-

#	परीक्षा का नाम	अनारक्षित /ओ.बी.सी. हेतु	अजा/ अजजा हेतु
1	प्रथम पेपर (प्राथमिक)	400/-	200/-
2	द्वितीय पेपर (उच्च प्राथमिक)	400/-	200/-
3	दोनों परीक्षा में शामिल होने हेतु	450/-	250/-

3. **आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि –**

अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन पत्र जिला मुख्यालयों के प्रधान/ मुख्य डाकघर में **31 अक्टूबर 2011** को कार्यालयीन अवधि तक या उसके पूर्व जमा कर सकेंगे। इस तिथि के बाद डाकघरों में आवेदन पत्र नहीं लिया जाएगा।

4. **परीक्षा तिथि –**

परीक्षा 24.11.2011 **को प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों में** निम्नानुसार आयोजित की जाएगी-

अ. प्रथम पेपर (प्राथमिक)- पूर्वाह्न 10.15 बजे से 12.00 बजे तक

ब. द्वितीय पेपर (उच्च प्राथमिक) - अपराह्न 3.15 बजे से 5.00 बजे तक।

5. **शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान:**

i. यह परीक्षा केवल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र होगी, इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता है।

ii. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कण्डिका **2 (n)** में उल्लेखित सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य अर्हता होगी।

iii. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में नियुक्ति के लिए अलग-अलग परीक्षा देनी होगी।

iv. इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा।

v. राज्य सेवा परीक्षा के प्रचलित नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% की छूट देते हुए इस परीक्षा में पात्रता हेतु 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक होगा।

vi. इस परीक्षा में प्राप्त अंक शिक्षक चयन के लिए अधिभार के रूप में गणना के लिए उपयोग में लाए जा सकेंगे। अधिभार का निर्धारण नियुक्ति कर्ता द्वारा किया जाएगा।

vii. एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता अधिकतम सात वर्षों के लिए रहेगी।

viii. एक बार सफल घोषित उम्मीदवार पुनः चाहें तो अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में शामिल हो सकता है।

ix. परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाणपत्र तथा अंकसूची सफल अभ्यर्थियों को प्रदान किया

जाएगा जिसे नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अन्य अभ्यर्थियों को केवल एक अंकसूची दिया जाएगा।

6. शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु अर्हताएँ:

6.1 राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापन हेतु अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ देनी होंगी। इन परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अहर्ताएँ इस प्रकार हैं:

(i) कक्षा एक से पाँच तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु

(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चत्तर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चत्तर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रिया विधि) विनिमय, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चत्तर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चत्तर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

(ii) कक्षा छः से आठ तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु

(क) स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 % अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.)

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनिमय के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चत्तर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.

अथवा

न्यूनतम 50%अंकों के साथ स्नातक तथा एकवर्षीय बी.एड.(विशेष शिक्षा)

6.2 इस परीक्षा के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद व्दारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India) व्दारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।

6.3 जिसके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और बी.एड. योग्यता है, कक्षा एक से पाँच में नियुक्ति के लिए 1 जनवरी, 2012 तक पात्र होगा, बशर्ते कि नियुक्ति के बाद वह प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद व्दारा मान्यता प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा कर ले।

6.4 वह व्यक्ति, जिसने डी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद व्दारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा करेगा।

6.5 ऐसे अभ्यर्थी जो एन.सी.टी.ई. या आर.सी.आई. व्दारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण पाठयक्रम में पंजीकृत होकर अध्ययन पूरा करने की प्रक्रिया में हों वे भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

6.6 भारत सरकार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनाँक 26 अगस्त, 2011 के व्दारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 23-2 के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम व्यावसायिक अर्हता में सशर्त छूट प्रदान की गई है। इस आधार पर ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्तानुसार निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तो रखते हैं किंतु व्यावसायिक अर्हता नहीं रखते और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उक्त छूट के अनुसार शिक्षक के पद पर नियुक्त किए जाने की स्थिति में नियुक्ति के दो वर्षों के भीतर निर्धारित व्यावसायिक योग्यता (डी.एड./ बी.एड.) प्राप्त करनी होगी। भारत सरकार व्दारा यह छूट केवल एक बार के लिए 31 मार्च, 2014 तक दी गई है।

नोट: ऐसे अभ्यर्थी जो हायर सेकण्डरी अथवा स्नातक की परीक्षा कण्डिका 6 में उल्लेखित अंकों के साथ उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे भी वर्ष 2011 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

6.7 **आरक्षण नीति: आरक्षित श्रेणियों जैसे कि एस.सी./एस.टी./ ओ.बी.सी./पी.एच. आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।**

6.8 इस अधिसूचना में उल्लिखित न्यूनतम मानदण्ड भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान आदि के अध्यापकों के मामले में लागू होते हैं। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के मामले में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम योग्यता मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्य शिक्षा आदि के अध्यापकों के मामले में राज्य सरकार तथा अन्य प्रबंधक वर्गों व्दारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक ऐसे अध्यापकों में संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित नहीं कर देती।

खण्ड ब

शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु संरचना और विषयवस्तु:

i. शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहु-विकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे।
ii. प्रत्येक परीक्षा डेढ़ घंटे की अवधि की होगी जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। गलत उत्तरों पर नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं होगा।
iii. शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल दो पेपर होंगे। प्रथम पेपर में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी क्वालीफाई करने पर कक्षा एक से पाँच तक की कक्षाओं में

अध्यापन करने के लिए पात्रता प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह दूसरे पेपर में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी क्वालिफाइ करने पर कक्षा छह से आठ तक की कक्षाओं में अध्यापन की पात्रता प्राप्त कर सकेंगे।

iv. निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं।

v. सभी प्रश्न दो भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में पूछे जाएंगे।

vi. प्रथम भाषा राज्य शासन द्वारा निर्धारित होगी (हिन्दी/ अंग्रेजी)और द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी/ सामान्य हिन्दी होगी।

vii. दोनों पेपर के लिए निर्धारित विषय एवं अंक इस प्रकार हैं:

प्रथम पेपर (कक्षा एक से पाँच तक अध्यापन –पात्रता हेतु) सभी अनिवार्य		
1. बाल विकास एवं पेडॅगॉजी	**30 बहु-विकल्पीय प्रश्न**	**30 अंक**
2. भाषा – 1	**30 बहु-विकल्पीय प्रश्न**	**30 अंक**
3. भाषा – 2	**30 बहु-विकल्पीय प्रश्न**	**30 अंक**
4. गणित	**30 बहु-विकल्पीय प्रश्न**	**30 अंक**
5. पर्यावरण अध्ययन	**30 बहु-विकल्पीय प्रश्न**	**30 अंक**
कुल	**150 बहु-विकल्पीय प्रश्न**	**150 अंक**

द्वितीय पेपर (कक्षा छः से आठ तक अध्यापन –पात्रता हेतु)		
1. बाल विकास एवं पेडॅगॉजी (अनिवार्य)	**30 बहु-विकल्पीय प्रश्न**	**30 अंक**
2. भाषा – 1 (अनिवार्य)	**30 बहु-विकल्पीय प्रश्न**	**30 अंक**
3. भाषा – 2 (अनिवार्य)	**30 बहु-विकल्पीय प्रश्न**	**30 अंक**
4.विषय आधारित परीक्षा (इनमें से कोई एक)		
4.1 विज्ञान एवं गणित विषय शिक्षक	**60 बहु-विकल्पीय प्रश्न**	**60 अंक**
4.2 सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक	**60 बहु-विकल्पीय प्रश्न**	**60 अंक**
4.3 अन्य कोई विषय शिक्षक हेतु	**4.1 या4.2 से कोई भी**	**60 अंक**
कुल	**150 बहु-विकल्पीय प्रश्न**	**150 अंक**

अभ्यर्थी विभिन्न विषयों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का अवलोकन एवं डाउनलोड आदि एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट www.scert.cg.gov.in से कर सकते हैं।